क्रमांक 12/1/99-2 जी0एस0-1

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गांव तथा रोहतक मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य ।

दिनांक चण्डीगढ़ 8 फरवरी, 2000

विषय :- दण्ड एवं अपील नियमावली के अधीन दोषी कर्मचारियों को सजा प्रदान करने सम्बन्धी दिशा निर्देश ।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर मैं आपका ध्यान सरकार के संमसंख्यक पत्र दिनांक 27-8-90 की ओर दिलाऊं जिस द्वारा सरकार ने यह हिदायतें जारी की थी कि दण्ड एवं अपील नियमावली के अधीन चल रही जांच में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को सजा देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए व दोषी कर्मचारी को ऐसी सजा दी जाए जो निकट भविष्य में कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति/पदोन्नति इत्यादि से प्रभावहीन न हो ।

2. सरकार के नोटिस में यह आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा दोषी कर्मचारियों को सजा देते समय इन हिदायतों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा अथवा जानकारी होते हुए भी दोषी कर्मचारी की वेतन वृद्धियां रोकने की सजा दी गई जिसके परिणामस्वरूप दोषी कर्मचारी को दी गई सजा निकट भविष्य में उसकी पदोन्नति सेवा निवृति से प्रभावहीन हो गई तथा कर्मचारी दोषी होने हुए भी सजा से बच गया । सरकार ने विभागों द्वारा की जा रही कोताही को गम्भीरता से लिया है ।

3. मुझे निर्देश हुआ है कि मैं चर्चाधीन हिदायतें पुनः दोहराऊं तथा अनुरोध करूं कि यह हिदायतें दृढ़ता से पालना के लिए अपने अधीन कार्य कर रहे सक्षम प्राधिकारियों के नोटिस में ला दी जाए।

हस्ता/-
भवदीय,
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार।

प्रशा0 क्रमांक 2/1/99-2जी0एस0-1 दिनांक 8-2-2000